न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2026/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/02/2026	2026/36	06.02.2025	22.04.2026

1– राहुल खान,

2– सकिल खान,

3– वकील खान,

4– शाहरूख,

5– मुस्तकीम पुत्रान कमरू खां उर्फ कमरूदीन जाति मेव निवासी शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल– तिजारा।

6– खुशबु पुत्री कमरू खां उर्फ कमरूदीन कमरू खां

7– जमीला बानो पत्नी कमरू उर्फ कमरूदीन उर्फ कमरू खां जाति मेव निवासी शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल– तिजारा।

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 09.02.2025 नामान्तकरण संख्या 2272 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

उपस्थित–

01. श्री कमरूदीन –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2272 निर्णय दिनांक 09.02.2025 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि हाल आराजी खसरा न0 301/1141 रकबा 0.0300 है0, 857/1153 रकबा 0.0500 है0, किता 02 रकबा 0.0800 है0, 273/1080 रकबा 0.4400 है0, 306 रकबा 0.0100 है0, 307 रकबा 0.0300 है0, 308 रकबा 0.0400 है0, किता 03 रकबा 0.0800 है0, 302 रकबा 0.1800 है0, 303 रकबा 0.2500 है0, किता 02 रकबा 0.4300 है0, 849 रकबा 0.1300 है0, 850 रकबा 0.0800 है0, 853 रकबा 0.0900 है0, 855 रकबा 0.2000 है0, किता 04 रकबा 0.5000 है0, 856 रकबा 0.3900 है0, 824 रकबा 0.7500 है0, 832 रकबा 0.6500 है0, 1214/304 रकबा 0.0366 है0 386 रकबा 0.3000 है0 कुल किता 17 रकबा 3.6866 है0 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास में स्थित है। आराजी कमरू पुत्र बडडी जाति मेव निवासी ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी मिन अपीलान्ट को अपने पिता/पति की मृत्यू के पश्चात विरासत में प्राप्त हुई है। अपीलान्ट के पिता/पति कमरू पुत्र बडडी की मृत्यू के पश्चात उक्त आराजी के विरासत का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज कराने के लिये रेस्पोडेन्ट को प्रार्थना के साथ समस्त कागजात पेश करने के पश्चात बाद जॉच

रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण यह कहते हुये की मल्टीपल नेम के आधार का कारण दर्शाते हुये खारिज कर दिया गया है। अपीलान्ट का मृतक पिता/पति ग्रामीण परिवेश व्यक्ति होने के कारण कमरू पुत्र बडडी व कमरू पुत्र बडन व कमरूदीन पुत्र बडी नामो से जाने जाते है, जो कि उक्त सभी नाम अपीलान्ट के पिता/पति के है। तहत अदालत द्वारा बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 06.01.2026 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने पर नकल दिनाक 06.01.2026 को उसी दिन आर्नलाईन ई–मित्र से प्राप्त करने पर हुई। जिस पर कानूनी सलाह मशवरा कर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.01.2025 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 06.01.2026 का समय मिन अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण काबिल माफी व मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 अपील के साथ सलग्न कर निवेदन है, कि मियाद के बिन्दू पर नरम रूख अपनाया जाकर अपील अपीलान्ट सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 06.01.2026 से अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 2272 वाके ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास दिनाक 09.02.2025 के विरूद्व दिनाक 09.01.2026 को पेश की गयी है, जो करीब 11 माह पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है, हम अपील का विधिवत निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, बल्कि अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.02.2025 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 06.01.2026 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 301/1141 रकबा 0.0300 है0, 857/1153 रकबा 0.0500 है0, किता 02 रकबा 0.0800 है0, 273/1080 रकबा 0.4400 है0, 306 रकबा 0.0100 है0, 307 रकबा 0.0300 है0, 308 रकबा 0.0400 है0, किता 03 रकबा 0.0800 है0, 302 रकबा 0.1800 है0, 303 रकबा 0.2500 है0, किता 02 रकबा 0.4300 है0, 849 रकबा 0.1300 है0, 850 रकबा 0.0800 है0, 853 रकबा 0.0900 है0, 855 रकबा 0.2000 है0, किता 04 रकबा 0.5000 है0, 856 रकबा 0.3900 है0, 824 रकबा 0.7500 है0, 832 रकबा 0.6500 है0, 1214/304 रकबा 0.0366 है0 386 रकबा 0.3000 है0 कुल किता 17 रकबा 3.6866 है0 वाके ग्राम शेखपुर में स्थित है। अपीलान्ट के कथनानुसार आराजी कमरू पुत्र बडडी जाति मेव निवासी ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी अपीलान्ट को अपने पिता/पति की मृत्यू के पश्चात विरासत में प्राप्त हुई है। अपीलान्ट के पिता/पति कमरू पुत्र बडडी की मृत्यू के पश्चात उक्त आराजी के विरासत का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज कराने के लिये तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना के साथ समस्त कागजात पेश करने के पश्चात बाद जॉच नामान्तकरण यह कहते हुये की मल्टीपल नेम के आधार का कारण दर्शाते हुये नामान्तकरण खारिज कर दिया गया। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का कथन है, कि अपीलान्ट का मृतक पिता/पति कमरू पुत्र बडडी व कमरू पुत्र बडन व कमरूदीन पुत्र बडी नामो से जाना जाता था। तहत अदालत द्वारा एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है, निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नही दिया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 2272 वाके ग्राम शेखपुर निर्णय दिनाक 09.02.2025

निरस्त किया है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अपीलान्ट के मृतक पिता कमरू पुत्र बडडी व कमरू पुत्र बडन व कमरूदीन पुत्र बडी के नाम के बाबत पुनः जॉच कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिवत पुनः निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)